

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 27/3/26

विषय- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 5,30,06,574/- (पाँच करोड़ तीस लाख छः हजार पाँच सौ चौहत्तर रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता, वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशांसा के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की निम्न योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹ 5,30,06,574/- (पाँच करोड़ तीस लाख छः हजार पाँच सौ चौहत्तर रूपये) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	भवन प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0डी0 संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1	वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर	30655	सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत वैशाली जिला में स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली के परिसर में अतिरिक्त 500 बेड का बालक छात्रावास 01 अदद, 300 बेड (जी+5) एवं 01 अदद 200 बेड (जी+3), 200 बेड का एक बालिका छात्रावास (जी+3), सहायक प्राध्यापक के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट (जी+4) प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, गेस्ट हाउस हेतु टाईप सी० भवन (जी+4) तथा एमेनिटी भवन (जी+1) का निर्माण कार्य	1151/ 15.03.24	₹5,30,06,574/- (पाँच करोड़ तीस लाख छः सौ पाँच सौ चौहत्तर रूपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघुशीर्ष-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-उपशीर्ष-0105-अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय) विपत्र कोड-03-4202021050105 के विषय शीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0105.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाएगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, वैशाली भवन प्रमंडल, हाजीपुर होंगे।
- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, हाजीपुर (वैशाली) से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3032 (म)

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली)/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हाजीपुर (वैशाली) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।